

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।

पत्र संख्या:- / 14-1, बरेली, दिनांक, 11 / अप्रैल / 2025

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक /
नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:- जनपद बरेली में बरेली-शाहजहाँपुर मार्ग(11300मी0) , चैनैज 260.300 से 271.600 तक 4" एवं 125 एम0एम0 (5") व्यास की भूमिगत स्टील एवं एम0डी0पी0ई0 गैस पाइप लाईन बिछाने हेतु 0.6215 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति सम्बन्धी।

संदर्भ:- सचिव उ0प्र0 शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ का पत्र संख्या- 107/81 - 2-2025-800 (265)/2024 दिनांक 20.02.2025,

महोदय, उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के द्वारा विषयक मामले में सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों के सापेक्ष अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली ने अपने पत्रांक 4422/14-1 दिनांक 02-04-2025 (संलग्नक-01) के द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है। अतः प्रभाग स्तर से प्राप्त अनुपालन आख्या निम्न प्रकार विन्दुवार संलग्नक सहित संलग्नक कर संस्तुति सहित ऑनलाइन/ऑफलाइन सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

क्रम सं०	शर्तों का विवरण	अनुपालन आख्या
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।
2	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred / deposited to CAMPA fund only through e-portal.	शर्त के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि मु0रु0 595260.00 की धनराशि ऑनलाईन के माध्यम से दिनांक 15.03.2025 को कैम्पा उ0प्र0 लखनऊ के खाते में जमा करा दी गयी है। यू0टी0आर0 संख्या - भूख52025031550040495 तथा जिसकी भुगतान की रसीद की प्रति संलग्न है।
3	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	संलग्न है।
4	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act,1986 if applicable.	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।
5	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।
6	No labor camps shall be established on the forest land.	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।
7	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation of any other legal source of alternate fuel.	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।
8	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।
9	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be Transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।
10	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act,1980 and action would be taken as per the MoEE&CC Guideline F.No11-42/2017-FC dt 29/01/2018	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।
11	Any other condition that the ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from Time to Time in the interest of	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।

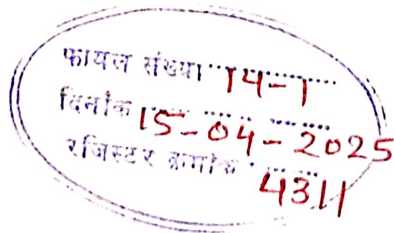
	conservation, protection and development of Forests & wildlife.	
12	The Complete compliance report shall be uploaded on e-porta l(https://parives.nic.in/).	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।
13	गैस पाइप लाइन/टेलीफोन लाइन/मार्गों/राइकों/वर्तमान (Surface Right) में प्रयुक्त रास्तों के किनारे- किनारे ही बिछाये जायेंगे।	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।
14	गैस पाइप लाइन/ टेलीफोन लाइन बिछाने हेतु खोदे जाने वाले ट्रेंच की गहराई 2.00 मीटर तथा चौड़ाई 1.00 मीटर से अधिक नहीं होगी।	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।
15	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेंच को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू- क्षरण की सम्भावना न हो।	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।
16	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी। परियोजना में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।
17	वनभूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।
18	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।
19	भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् बना रहेगा।	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।
20	कार्यदायी संस्था द्वारा प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी० तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराया जायेगा।	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।
21	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू- स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।
22	प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।
23	भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19.08.2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/41/2006 -IA-II(I), दिनांक 02. दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (If applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/ अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग- अलग प्राप्त कर लिया है।	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।
24	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98- एफसी, दिनांक 08.07. 2011 में दिये गये दिशा- निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजिटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत किया जाये, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा फाइल में दर्शाया गया हो।	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।
25	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा रवीकृत कराकर भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए धनराशि उपलब्ध करायेगा।	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।
26	नोडल अधिकारी, उ०प्र० द्वारा प्रत्येक माह की 05 तारीख तक इस तरह के जारी अनुमति की रिपोर्ट, क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार को प्रेषित करेंगे।	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।
27	प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आस पास के फ्लोरा(वनरपति)/फागना के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेंगे।	प्रयोक्ता एजेन्सी से सम्बन्धित नहीं है।
28	प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो, नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।

29	उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, लखनऊ के अनुश्रवण के अधीन होगी	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।
30	प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में दाखिल रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0 ए0 संख्या- 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 के क्रम में भारत सरकार के पत्र दिनांक 06.01.2022 एवं यथार्थसंशोधित दिनांक 19.01.2023 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण(ब्यउचमदेजवतल विधितमेजंजपवद धनदक डंदंहमउमदज दक चसंदपदह जीवनतपजल) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी से सम्बन्धित नहीं है।
31	सैद्धांतिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् ; वृत्तापदह चतउपेपवदद विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	शर्त के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि मु0रु0 595260.00 की धनराशि ऑनलाईन के माध्यम से दिनांक 15.03.2025 को कैम्पा उ0प्र0 लखनऊ के खाते में जमा करा दी गयी है। यू0टी0आर0 संख्या - HDFCR52025031550040495 तथा जिसकी भुगतान की रसीद की प्रति संलग्न है।
32	प्रश्नगत सैद्धांतिक स्वीकृति मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही हैं भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छिपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।	संलग्न है।

प्रारूप-2

शर्त.संख्या	भारत सरकार की इंगित शर्त	अनुपालन आख्या/प्रतिउत्तर की स्थिति
01	02	03
01	एनपीबी की धनराशि	5,95,260.00
	एनपीबी की जमा धनराशि	5,95,260.00

उपरोक्त अनुपालन आख्या संलग्नको सहित ऑनलाईन आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।



भवदीय,

(विजय सिंह)

मुख्य वन संरक्षक/

प्रभारी-वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।

(विजय सिंह)

मुख्य वन संरक्षक/

प्रभारी-वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।

पत्रांक 3440 /14-1, दिनांकित

1- प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली को उनके पत्रांक 4422/14-1 दिनांक 02.04.2025 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली।

पत्रांक

4422 / 14-1, बरेली, दिनांक,

02, मार्च, 2025
अप्रैल

सेवा मे,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त,
बरेली।

विषय:- जनपद बरेली में बरेली - शाहजहाँपुर मार्ग (11300 मी०), चैनेज 260.300 से 271.600 तक 4" एवं 125 एम०एम० (5") व्यास की भूमिगत स्टील एवं एम०डी०पी०ई० गैस पाईप लाईन बिछाने हेतु 0.6215 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति सम्बन्धी।

संदर्भ:- सचिव उ०प्र० शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ का पत्र संख्या- 107/81-2-2025-800 (265)/2024 दिनांक 20.02.2025, मैनेजर प्रोजेक्ट सेन्ट्रल यू०पी० गैस लिमिटेड बरेली, का पत्र दिनांक 27.03.2025

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्रों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। सचिव उ०प्र० शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ के उक्त पत्र दिनांक 20.02.2025, के द्वारा विषयक मामले में सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों के सापेक्ष प्रस्तावक विभाग द्वारा अक्षरशः अनुपालन आख्या प्रेषित की गयी है। (संलग्नक-1) प्रस्तावक विभाग से प्राप्त अनुपालन आख्या के अनुसार सहमति सहित अनुपालन आख्या निम्नवत् नियत प्रारूप में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है-

क्रम सं०	शर्तों का विवरण	अनुपालन आख्या
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।
2	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred / deposited to CAMPA fund only through e-portal.	शर्त के अनुपालन में एन०पी०वी० की धनराशि मु०रु० 595260.00 की धनराशि ऑनलाईन के माध्यम से दिनांक 15.03.2025 को कैम्पा उ०प्र० लखनऊ के खाते में जमा करा दी गयी है। यू०टी०आर० संख्या - HDFCR52025031550040495 तथा जिसकी भुगतान की रसीद की प्रति संलग्न है।
3	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	संलग्न है।
4	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986 if applicable.	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।
5	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।
6	No labor camps shall be established on the forest land.	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।
7	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation of any other legal source of alternate fuel.	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।
8	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।

9	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be Transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।
10	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEE&CC Guideline F.No11-42/2017-FC dt 29/01/2018.	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।
11	Any other condition that the ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from Time to Time in the interest of conservation, protection and development of Forests & wildlife.	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।
12	The Complete compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parives.nic.in/).	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।
13	गैस पाइप लाइन/टेलीफोन लाइन/मार्गों/सड़कों/वर्तमान (Surface Right) में प्रयुक्त रास्तों के किनारे- किनारे ही विछाये जायेंगे।	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।
14	गैस पाइप लाइन/ टेलीफोन लाइन लिखित डेटा छोड़े जायेंगे जहाँ की गहराई 2.00 मीटर तथा चौड़ाई 1.00 मीटर से अधिक नहीं होगी।	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।
15	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू- क्षरण की सम्भावना न हो।	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।
16	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी। परियोजना में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।
17	वनभूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।
18	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।
19	भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् बना रहेगा।	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।
20	कार्यदायी संस्था द्वारा प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी० तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराया जायेगा।	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।
21	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू- स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।
22	प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।
23	भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19.08.2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/41/2006 -IA-II(I), दिनांक 02. दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (If applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/ अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग- अलग प्राप्त कर लिया है।	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।
24	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98- एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा- निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत किया जाये, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा फाइल में दर्शाया गया हो।	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।
25	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए धनराशि उपलब्ध करायेगा।	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।
26	नोडल अधिकारी, उ०प्र० द्वारा प्रत्येक माह की 05 तारीख तक इस तरह के जारी अनुमति की रिपोर्ट, क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार को प्रेषित करेंगे।	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।
27	प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आस पास के फलोरा(वनस्पति)/फाuna के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेंगे।	प्रयोक्ता एजेन्सी से सम्बन्धित नहीं है।
28	प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।

	जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो, नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।	
29	उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, लखनऊ के अनुश्रवण के अधीन होंगीं	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।
30	प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में दाखिल रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0 ए0 संख्या- 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 के क्रम में भारत सरकार के पत्र दिनांक 06.01.2022 एवं यथासंशोधित दिनांक 19.01.2023 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण(Compensatory Afforestation Fund Management and Planing Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी से सम्बन्धित नहीं है।
31	सैद्धांतिक स्वीकृति की विन्दुवार अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् (working Permission) विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	शर्त के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि मु0रु0 595260.00 की धनराशि ऑनलाईन के माध्यम से दिनांक 15.03.2025 को कैम्पा उ0प्र0 लखनऊ के खाते में जमा करा दी गयी है। यू0टी0आर0 संख्या - HDFCR52025031550040495 तथा जिसकी भुगतान की रसीद की प्रति संलग्न है।
32	प्रश्नगत सैद्धांतिक स्वीकृति मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी की रिपोर्ट/सन्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही हैं भविष्य में प्रकरण में किसी विन्दु पर तथ्य छिपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।	संलग्न है।

प्रारूप-2

शर्त.संख्या	भारत सरकार की इंगित शर्त	अनुपालन आख्या/प्रतिउत्तर की स्थिति
01	02	03
02	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि	—
	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की जमा धनराशि	—
	धनराशि में अंतर	—
	अंतर का कारण	—
03	एनपीवी की धनराशि	5,95,260.00
	एनपीवी की जमा धनराशि	5,95,260.00
	धनराशि का अंतर	—
	अंतर का कारण	—
	अन्य जमा धनराशि	—
	कैम्पा द्वारा सुनिश्चित	

उपरोक्त अनुपालन आख्या संलग्नको सहित ऑनलाईन आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय
 (दीक्षा भण्डारी)
 प्रभागीय वनाधिकारी
 वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली।

सेन्ट्रल यू.पी. गैस लिमिटेड
(गैल (इंडिया) लिमिटेड एवं भारत पेट्रोलियम का संयुक्त उद्यम)



Central U.P. Gas Limited
(A Joint Venture of GAIL (India) Limited and BPCL)

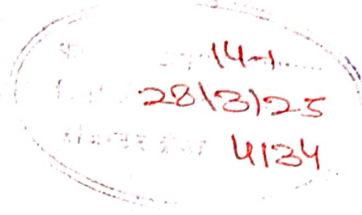
CIN No. : U40200UP2005PLC029538

पत्रांक:-

दिनांक:- 27/03/25

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
बरेली



विषय:- जनपद बरेली के अंतर्गत बरेली - शाहजहाँपुर मार्ग (11300 मी०) चेनेज 260.300 से 271.600 तक 4" एवं 125 एम० एम० (5") व्यास की भूमिगत स्टील एवं एम० डी० पी० इ० गैस पाइप लाइन विछाने हेतु 0.6215 हे० संरक्षित भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पतन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं०- FP/UP/ Pipeline /147376/ 2021)

सन्दर्भ:- सचिव उ० प्र० शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के पत्रांक -107/ 81-2-2025-800(265)/ 2024 दिनांक 20.02.2025 एवं आपका पत्रांक 3948/14-1, दिनांक 01.03.2025

महोदय,

कृपया उपर्युक्त सचिव, उ० प्र० शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के पत्रांक 107/ 81-2-2025-800(265)/ 2024 दिनांक 20.02.2025 का अवलोकन करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि, उ० प्र० शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के पत्रांक 107/ 81-2-2025-800(265)/ 2024 दिनांक 20.02.2025 द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। जिसके क्रम में आपके कार्यालय के उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों के अनुपालन के हेतु लिखा गया है। सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों की बिंदुवार अनुपालन आख्या व प्रमाण- पत्रों की प्रतियाँ मूल में संस्तुत सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया तदनुसार अपने स्तर से उच्च स्तर को प्रेषित करने का कष्ट करें।

Carvever
D.G.O.
28.03.2025

Jitendra Gautam
Manager Projects
Central U.P. Gas Limited
Bareilly

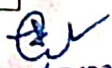
प्रधान्या आफिस : सी एन जी फिलिंग स्टेशन, निकट सेटेलाइट बस स्टैंड, पीलीभीत, बाईपास रोड, बरेली - 243005, उ.प्र. • दूरभाष : 9219440921, 9219440920 • वेबसाइट : www.cugl.co.in
Branch Office : CNG Filling Station, Near Satellite Bus Stand, Pilibhit Bye pass Road, Bareilly - 243005, U.P. • Tel.: 9219440921, 9219440920 • Website : www.cugl.co.in

प्रमुख आफिस : सातवों तल, यूपीएसआईडीसी कॉम्प्लेक्स, ए-1/4, लखनपुर, कानपुर - 208 024 उ.प्र. • दूरभाष : 0512-2585001, 2583462 • फैक्स : 2582453 • वेबसाइट : www.cugl.co.in
Registered Office : 7th Floor, UPSIDC Complex, A-1/4, Lakhanpur, Kanpur- 208024, U.P. • Tel.: 0512-2585001, 2583462 • Fax : 2582453 • Website : www.cugl.co.in

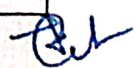
क्र.	अनुपालन आख्या	अनुपालन आख्या का निस्तारण
1.	Legal status of the forest land shall remain up unchanged.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा उक्त आशय की वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक-1)
2.	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA Fund only through e-portal.	शर्त अनुपालन में वांछित समस्त धन राशि कैम्पा फण्ड UTR – HDFCR52025031 550040495, HDFC BANK दिनांक 15.03.2025 के माध्यम से ई-पोर्टल पर जमा की जा चुकी है, जमा की गयी राशि की चालान की प्रति संलग्न है। (संलग्नक-2)
3.	The complete compliance of the FRA,2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा इस Compliance report के साथ Complete Compliance of the FRA, 2006 का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है। (संलग्नक-3)
4.	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा उक्त आशय की वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक-4)
5.	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा उक्त आशय की वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक-5)
6.	No labour camp shall be established on the forest land.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा उक्त आशय की वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक-6)
7.	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the laborers after purchasing the same from the state Forest Department or the Forest Department Corporation or any other legal source of alternate fuel.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा उक्त आशय की वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक-7)
8.	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life,	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा उक्त आशय की वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक-8)


Jitendra Gautam
 Manager Projects
 Central U.P. Gas Limited
 Bareilly

	whichever is less.	
9.	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department, or person without prior approval of Govt. of India.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा उक्त आशय की वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक-9)
10.	Violation of any of these conditions will amount to Violation of Forest (Conservation) Act. 1980 and action taken as per MOEF & CC Guidelines F. No. 11-42/2017-FC dated 29/01/2018.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा उक्त आशय की वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक-10)
11.	Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may Stipulated from time to time in the interest of conservation, Protection and development of Forest & Wildlife.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा उक्त आशय की वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक-11)
12.	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/)	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा उक्त आशय की वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक-12)
13.	गैस पाइप लाइन/टेलीफोन लाइन/मार्गों/सड़को/वर्तमान (Surface Right) में प्रयुक्त रास्तों के किनारे ही बिछाये जायेंगे।	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा उक्त आशय की वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक-13)
14.	गैस पाइप लाइन/टेलीफोन लाइन बिछाने हेतु खोदे जाने वाले ट्रेंच की गहराई 2.00 मीटर तथा चौड़ाई 1.00 मीटर से अधिक नहीं होगी।	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा उक्त आशय की वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक-14)
15.	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेंच को इस तरह से भर कर कम्पेक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा उक्त आशय की वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक-15)
16.	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी। परियोजना में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा उक्त आशय की वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक-16)
17.	वनभूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा उक्त आशय की वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक-17)


Jitendra Gautam
 Manager Projects
 Central U.P. Gas Line
 Bareilly

	विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।	
18.	प्रस्तावक विभाग द्वार अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा उक्त आशय की वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक-18)
19.	भूमि का सरफेस साइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् बना रहेगा।	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा उक्त आशय की वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक-19)
20.	कार्यदायी संस्था द्वारा प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी० तीन लाइनो में वृक्षारोपण कराया जायेगा।	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा उक्त आशय की वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक-20)
21.	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा उक्त आशय की वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक-21)
22.	प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा उक्त आशय की वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक-22)
23.	भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-08-2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/41/2006-1A-1(1), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया है।	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा उक्त आशय की वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक-23)


Jitendra Gautam
 Manager Projects
 Central U.P. Gas Limited
 Bareilly

24.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफसी, दिनांक 08.07. 2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत किया जाये, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाईल में दर्शाया गया हो।	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा उक्त आशय की वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक-24)
25.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृति करारकर भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए धनराशि उपलब्ध करायेगा।	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा उक्त आशय की वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक-25)
26.	नोडल अधिकारी, उ०प्र० द्वारा प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस तरह के जारी अनुमति की रिपोर्ट, क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार को प्रेषित करेंगे।	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा उक्त आशय की वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक-26)
27.	प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आर-पास के फ्लोरा (वनस्पति/फाना के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेंगे।	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा उक्त आशय की वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक-27)
28.	प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो, नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा उक्त आशय की वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक-28)
29.	उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र, लखनऊ के अनुश्रवण के अधीन होगी।	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा उक्त आशय की वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक-29)
30.	प्रस्तावक विभाग द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय में दाखिल रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या-566 एवं भारत	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा उक्त आशय की वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक-30)

	सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 के कम में भारत सरकार के पत्र दिनांक 06.01.2022 तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planing Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।	
31.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने पश्चात् विधिवत स्वीकृति (Working Permission) प्रदान की जायेगी।	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा उक्त आशय की वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक-31)
32.	प्रश्नगत सैद्धान्तिक स्वीकृति मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छिपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा उक्त आशय की वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक-32)

भवदीय

Jitendra

Jitendra Gautam
Manager Projects

प्रबंधक-परियोजना Central U.P. Gas Limited
Bareilly

सेंट्रल यू० पी० गैस लिमिटेड, बरेली

क्षेत्रीय वनाधिकारी
बरेली रेंज, बरेली

Hi
क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज
बरेली

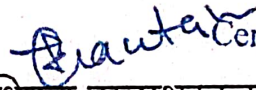
kan
उप प्रभागीय वनाधिकारी (बरेली)
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

जनपद बरेली के अंतर्गत बरेली - शाहजहाँपुर मार्ग (11300मी०) चेनेज 260.300 से 271.600 तक 4" एवं 125 एम० एम० (5") व्यास की भूमिगत स्टील एवं एम० डी० पी० इ० गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु 0.6215 हे० संरक्षित भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पतन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं०- FP/UP/ Pipeline /147376/ 2021)

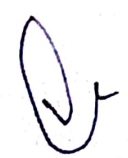
वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं- 01

शर्त संख्या 1-, अनुपालन में इस आशय वचनबद्धता दी जाती है कि वन भूमि की वैधानिक स्थिति में उनके द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

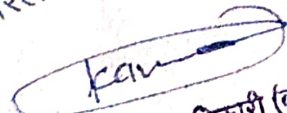
Jitendra Gautam
Manager Projects


अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
Central U.P. Gas Limited
Barcilly

सेंट्रल यू० पी० गैस लिमिटेड


क्षेत्रीय वनाधिकारी
बरेली रेंज, बरेली

क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज
बरेली


उप प्रभागीय वनाधिकारी (बरेली)
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

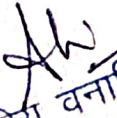

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

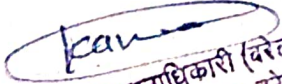
जनपद बरेली के अंतर्गत बरेली - शाहजहाँपुर मार्ग (11300मी०) चेनेज 260.300 से 271.600 तक 4" एवं 125 एम० एम० (5") व्यास की भूमिगत स्टील एवं एम० डी० पी० इ० गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु 0.6215 हे० संरक्षित भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पतन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं०- FP/UP/ Pipeline /147376/ 2021)

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं- 02

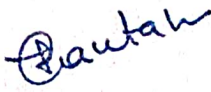
शर्त संख्या 2-, अनुपालन में इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि प्रकरण में वांछित समस्त धन राशि कैम्पा फण्ड के ईपोर्टल पर जमा की जा चुकी है-, जमा की गयी राशि की चालान की प्रति संलग्न है।


क्षेत्रीय वनाधिकारी
बरेली रेन्ज, बरेली


क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेन्ज
बरेली


उप प्रभागीय वनाधिकारी (बरेली)
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली


अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

सेंट्रल यू० पी० गैस लिमिटेड

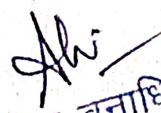
Jitendra Gautam
Manager Projects
Central U.P. Gas Limited
Bareilly

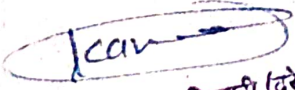
जनपद बरेली के अन्तर्गत बरेली- शाहजहाँपुर मार्ग (11300मी.) चेनेज 260.300 से 271.600 तक 4 " एवं 125 एम.एम. (5) ब्यास की भूमिगत स्टील एवं एम.डी.पी. ई. गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु 0.6215 है. संरक्षित भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पतन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं0-FP/UP Pipeline/147376/2021)

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं- 03

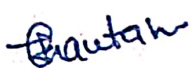
शर्त संख्या3-, अनुपालन में सेंट्रल यू० पी० गैस लिमिटेड द्वारा इस Compliance report के साथ Complete Compliance of the FRA, 2006 का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है।


क्षेत्रीय वनाधिकारी
बरेली रेंज, बरेली


क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज
बरेली


उप प्रभागीय वनाधिकारी (बरेली)
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

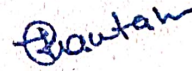

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली


अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
सेंट्रल यू० पी० गैस लिमिटेड
Manager Projects
Central U.P. Gas Limited
Bareilly

जनपद बरेली के अंतर्गत बरेली - शाहजहाँपुर मार्ग (11300मी०) चेनेज 260.300 से 271.600 तक 4" एवं 125 एम० एम० (5") व्यास की भूमिगत स्टील एवं एम० डी० पी० इ० गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु 0.6215 हे० संरक्षित भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पतन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं०- FP/UP/ Pipeline /147376/ 2021)

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं- 04

शर्त संख्या-4, अनुपालन में यदि लागू हो तो उपयोगकर्ता एजेंसी को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करनी होगी।

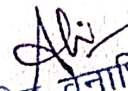


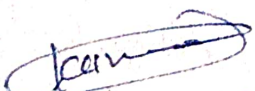
Jitendra Gautam
Manager Projects
Central U.P. Gas Limited
Bareilly

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

सेंट्रल यू० पी० गैस लिमिटेड


क्षेत्रीय वनाधिकारी
बरेली रेंज, बरेली


क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज
बरेली


उप प्रभागीय वनाधिकारी (बरेली)
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

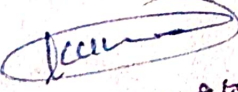
जनपद बरेली के अंतर्गत बरेली - शाहजहाँपुर मार्ग (11300मी०) चेनेज 260.300 से 271.600 तक 4" एवं 125 एम० एम० (5") व्यास की भूमिगत स्टील एवं एम० डी० पी० इ० गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु 0.6215 हे० संरक्षित भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पतन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं०- FP/UP/ Pipeline /147376/ 2021)

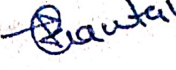
वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं- 05

शर्त संख्या 5-, अनुपालन में इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव के लेआउट प्लान में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा-


अंत्राय वनाधिकारी
बरेली रेन्ज, बरेली


क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज
बरेली


उप प्रभागीय वनाधिकारी (बरेली)
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली


Jitendra Gautam
Manager Projects
Central U.P. Gas Limited
Bareilly

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

सेंट्रल यू० पी० गैस लिमिटेड


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

जनपद बरेली के अंतर्गत बरेली - शाहजहाँपुर मार्ग (11300मी०) चेनेज 260.300 से 271.600 तक 4" एवं 125 एम० एम० (5") व्यास की भूमिगत स्टील एवं एम० डी० पी० इ० गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु 0.6215 हे० संरक्षित भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पतन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं०- FP/UP/ Pipeline /147376/ 2021)

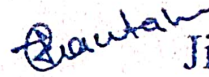
वचनबद्धता प्रमाण-पत्र बिंदु सं-06

शर्त संख्या 6-, अनुपालन में इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि प्रस्तावित स्थल पर किसी भी प्रकार का लेवर कैम्प स्थापित नहीं किया जायेगा।

क्षेत्रीय वनाधिकारी
बरेली रेंज, बरेली

क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज
बरेली

उप प्रभागीय वनाधिकारी (बरेली)
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

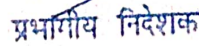


Jitendra Gautam

Manager Projects

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता Central U.P. Gas Limited
Bareilly

सेंट्रल यू० पी० गैस लिमिटेड


प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

जनपद बरेली के अंतर्गत बरेली - शाहजहाँपुर मार्ग (11300मी०) चेनेज 260.300 से 271.600 तक 4" एवं 125 एम० एम० (5") व्यास की भूमिगत स्टील एवं एम० डी० पी० इ० गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु 0.6215 हे० संरक्षित भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पतन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं०- FP/UP/ Pipeline /147376/ 2021)

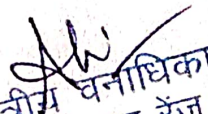
वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं- 07

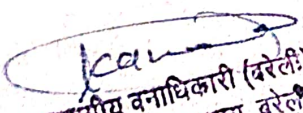
शर्त संख्या 7-, अनुपालन में इस आशय की बचन बद्धता दी जाती है कि उवन 0 प्र 0 वैकल्पिक ईंधन क्रय कर को उपलब्ध /वन निगम विधिक स्रोत से जलौनी लकड़ी/विभाग कराया जायेगा।

 **Jitendra Gautam**
Manager Projects
Central U.P. Gas Limited
Bareilly

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
सेंट्रल यू० पी० गैस लिमिटेड


क्षेत्रीय वनाधिकारी
बरेली रेन्ज, बरेली


क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेन्ज
बरेली

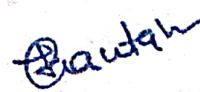

उप प्रभागीय वनाधिकारी (बरेली)
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

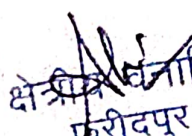
जनपद बरेली के अंतर्गत बरेली - शाहजहाँपुर मार्ग (11300मी०) चेनेज 260:300 से 271.600 तक 4" एवं 125 एम० एम० (5") व्यास की भूमिगत स्टील एवं एम० डी० पी० इ० गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु 0.6215 हे० संरक्षित भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पतन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं०- FP/UP/ Pipeline /147376/ 2021)

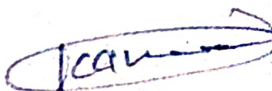
वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं- 08

शर्त संख्या 8-, अनुपालन में रा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि परियोजना के अंतर्गत वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने की अवधि, लीज की अवधि अथवा परियोजना की अवधि जो भी कम हो तक होगी।

 **Jitendra Gautam**
Manager Projects
Central U.P. Gas Limited
Bareilly

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
सेंट्रल यू० पी० गैस लिमिटेड


क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज
बरेली


उप प्रभागीय वनाधिकारी (बरेली)
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली


क्षेत्रीय वनाधिकारी
बरेली रेंज, बरेली

जनपद बरेली के अंतर्गत बरेली - शाहजहाँपुर मार्ग (11300मी०) चेनेज 260.300 से 271.600 तक 4" एवं 125 एम० एम० (5") व्यास की भूमिगत स्टील एवं एम० डी० पी० इ० गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु 0.6215 हे० संरक्षित भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पतन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं०- FP/UP/ Pipeline /147376/ 2021)

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं- 09

शर्त संख्या 9-, अनुपालन में इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्तावित वन भूमि का किसी भी दशा में किसी अन्य एजेंसी, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।

Jitendra Gautam
Manager Projects
Central U.P. Gas Limited
Bareilly

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

सेंट्रल यू० पी० गैस लिमिटेड

क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज
बरेली

उप प्रभागीय वनाधिकारी (बरेली)
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

प्रभागीय निदेशक
सांवाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

अध्याय वनाधिकारी
बरेली रेंज, बरेली

जनपद बरेली के अंतर्गत बरेली - शाहजहाँपुर मार्ग (11300मी०) चेनेज 260.300 से 271.600 तक 4" एवं 125 एम० एम० (5") व्यास की भूमिगत स्टील एवं एम० डी० पी० इ० गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु 0.6215 हे० संरक्षित भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पतन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं०- FP/UP/ Pipeline /147376/ 2021)

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं - 10

शर्त संख्या 10-, अनुपालन में इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि परियोजना के अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980-का उल्लंघन नहीं करेगा यदि उल्लंघन किया गया तो MoEF and CC Guideline F.No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018 के अनुसार की गयी कार्यवाही मान्य होगी।

क्षेत्रीय वनाधिकारी
बरेली रेंज, बरेली

क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज
बरेली

उप प्रभागीय वनाधिकारी (बरेली)
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

Jitendra Gautam
Manager Project
Central U.P. Gas Line
Bareilly

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

सेंट्रल यू० पी० गैस लिमिटेड

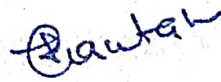
प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

जनपद बरेली के अंतर्गत बरेली - शाहजहाँपुर मार्ग (11300मी०) चेनेज 260.300 से 271.600 तक 4" एवं 125 एम० एम० (5") व्यास की भूमिगत स्टील एवं एम० डी० पी० इ० गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु 0.6215 हे० संरक्षित भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पतन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं०- FP/UP/ Pipeline /147376/ 2021)

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं- 11

शर्त संख्या 11-, अनुपालन में इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवम जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा वन एवम वन्य जीव के संरक्षण सुरक्षा एवम विकास के लिये समय समय पर जो भी अन्य शर्तें लगायी जायेगी/, उसका अनुपालन किया जायेगा।



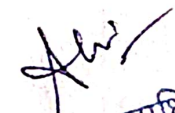
Jitendra Gautam
Manager Projects
Central U.P. Gas Limited
Bareilly

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

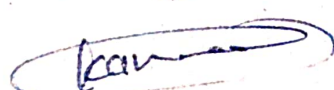
सेंट्रल यू० पी० गैस लिमिटेड



क्षेत्रीय वनाधिकारी
बरेली रेन्ज, बरेली



क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेन्ज
बरेली

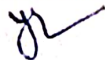


उप-प्रभागीय वनाधिकारी (बरेली)
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली



प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली



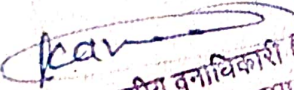
जनपद बरेली के अंतर्गत बरेली - शाहजहाँपुर मार्ग (11300मी०) चेनेज 260.300 से 271.600 तक 4" एवं 125 एम० एम० (5") व्यास की भूमिगत स्टील एवं एम० डी० पी० इ० गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु 0.6215 हे० संरक्षित भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पतन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं०- FP/UP/ Pipeline /147376/ 2021)

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं- 12

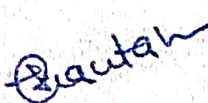
शर्त संख्या 12-, अनुपालन में इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इ पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी


क्षेत्रीय वनाधिकारी
बरेली रेन्ज, बरेली


क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज
बरेली


उप प्रभागीय वनाधिकारी (बरेली)
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली


Jitendra Gautam
Manager Projects
Central U.P. Gas Lim
Bareilly

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

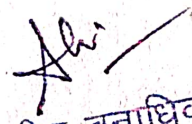
सेंट्रल यू० पी० गैस लिमिटेड

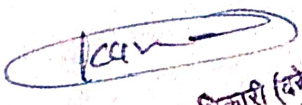
जनपद बरेली के अंतर्गत बरेली - शाहजहाँपुर मार्ग (11300मी०) चेनेज 260.300 से 271.600 तक 4" एवं 125 एम० एम० (5") व्यास की भूमिगत स्टील एवं एम० डी० पी० इ० गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु 0.6215 हे० संरक्षित भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पतन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं०- FP/UP/ Pipeline /147376/ 2021)

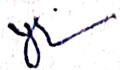
वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं- 13

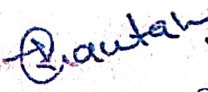
शर्त संख्या 13-, अनुपालन में इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि पाइप लाइन (वर्तमान) Surface Right) में प्रयुक्त रास्तो के किनारे पर ही बिछायी जायेगी।


क्षेत्रीय वनाधिकारी
बरेली रेंज, रेली


क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज
बरेली


उप प्रभागीय वनाधिकारी (दरेली)
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली



Jitendra Gautam
Manager Projects
Central U.P. Gas Limited
Bareilly

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
सेंट्रल यू० पी० गैस लिमिटेड

जनपद बरेली के अंतर्गत बरेली - शाहजहाँपुर मार्ग (11300मी०) चेनेज 260.300 से 271.600 तक 4" एवं 125 एम० एम० (5") व्यास की भूमिगत स्टील एवं एम० डी० पी० इ० गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु 0.6215 हे० संरक्षित भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पतन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं०- FP/UP/ Pipeline /147376/ 2021)

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र बिंदु सं- 14

शर्त संख्या 14-, अनुपालन में इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि पाइप लाइन 1.00 तथा चौड़ाई 2.00 टेलीफोन लाइन बिछाने हेतु खोदे जानी वाली ट्रेंच की गहराई/मीसे अधिक नहीं होगी। 0

क्षेत्रीय वनाधिकारी
बरेली रेंज, बरेली

क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज
बरेली

उप प्रभागीय वनाधिकारी (बरेली)
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

Jitendra Gautam
Manager Projects
Central U.P. Gas Limited
Bareilly

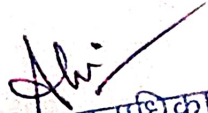
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
सेंट्रल यू० पी० गैस लिमिटेड

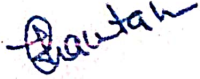
जनपद बरेली के अंतर्गत बरेली - शाहजहाँपुर मार्ग (11300मी०) चेनेज 260.300 से 271.600 तक 4" एवं 125 एम० एम० (5") व्यास की भूमिगत स्टील एवं एम० डी० पी० इ० गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु 0.6215 हे० संरक्षित भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पतन की अनुमति के सम्बन्ध में।(प्रस्ताव सं०- FP/UP/ Pipeline /147376/ 2021)

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र बिंदु सं- 15

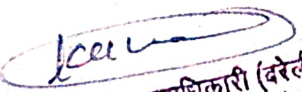
शर्त संख्या 15-, अनुपालन में इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि खोदी गयी ट्रेन्च को इस तरह से भरकर कम्पैक्ट किया जायेगा जिससे कि भूक्षरण की सम्भावना न हो।-


क्षेत्रीय वनाधिकारी
बरेली रेंज, बरेली


क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज
बरेली


अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
सेंट्रल यू० पी० गैस लिमिटेड

Jitendra Gautam
Manager Projects
Central U.P. Gas Limited
Bareilly


उप प्रभागीय वनाधिकारी (बरेली)
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली



जनपद बरेली के अंतर्गत बरेली - शाहजहाँपुर मार्ग (11300मी०) चेनेज 260.300 से 271.600 तक 4" एवं 125 एम० एम० (5") व्यास की भूमिगत स्टील एवं एम० डी० पी० इ० गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु 0.6215 हे० संरक्षित भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पतन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं०- FP/UP/ Pipeline /147376/ 2021)

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र बिंदु सं- 16

शर्त संख्या 16-, अनुपालन में इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी। परियोजना में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।

क्षेत्रीय वनाधिकारी
बरेली रेन्ज, बरेली

क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज
बरेली

उप प्रभागीय वनाधिकारी (बरेली)
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

Jitendra Gautam
Manager Projects
Central U.P. Gas Limited
Bareilly

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
सेंट्रल यू० पी० गैस लिमिटेड

जनपद बरेली के अन्तर्गत बरेली- शाहजहाँपुर मार्ग (11300मी.) चेनेज 260.300 से 271.600 तक 4 " एवं 125 एम.एम. (5) ब्यास की भूमिगत स्टील एवं एम.डी.पी. ई. गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु 0.6215 है. संरक्षित भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पतन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं0-FP/UP Pipeline/147376/2021)

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं- 17

शर्त संख्या17-, अनुपालन में इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनो एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में सेंट्रल यू० पी० गैस लिमिटेड द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।

क्षेत्रीय वनाधिकारी
बरेली रेंज, बरेली

क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज
बरेली

उप प्रभागीय वनाधिकारी (बरेली)
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

Jitendra Gautam
Manager Projects
Central U.P. Gas Limited
Bareilly

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

सेंट्रल यू० पी० गैस लिमिटेड

जनपद बरेली के अन्तर्गत बरेली- शाहजहाँपुर मार्ग (11300मी.) चेनेज 260.300 से 271.600 तक 4 " एवं 125 एम.एम. (5) ब्यास की भूमिगत स्टील एवं एम.डी.पी. ई. गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु 0.6215 है. संरक्षित भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पतन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं0-FP/UP Pipeline/147376/2021)

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं- 18

शर्त संख्या18-, अनुपालन में इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि सेंट्रल यू० पी० गैस लिमिटेड द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादित से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।

क्षेत्रीय वनाधिकारी
बरेली रेन्ज, बरेली

क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेन्ज
बरेली

उप प्रभागीय वनाधिकारी (बरेली)
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

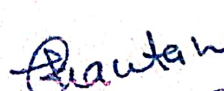
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
Jitendra Gautam
सेंट्रल यू० पी० गैस लिमिटेड
Central U.P. Gas Limited
Barcilly

जनपद बरेली के अंतर्गत बरेली - शाहजहाँपुर मार्ग (11300मी०) चेनेज 260.300 से 271.600 तक 4" एवं 125 एम० एम० (5") व्यास की भूमिगत स्टील एवं एम० डी० पी० इ० गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु 0.6215 हे० संरक्षित भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पतन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं०- FP/UP/ Pipeline /147376/ 2021)

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं- 19

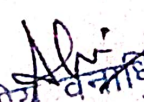
शर्त संख्या 19-, अनुपालन में इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि भूमि का सरफेस राइट्स) Surface right) नहीं दिया जायेगा एवम वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत बना रहेगा।

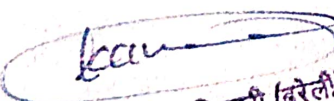
 **Jitendra Gautam**
Manager Projects
Central U.P. Gas Limited
Bareilly

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

सेंट्रल यू० पी० गैस लिमिटेड


क्षेत्रीय वनाधिकारी
बरेली रेंज, रेंज


क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज
बरेली


उप प्रभागीय वनाधिकारी (बरेली)
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

जनपद बरेली के अन्तर्गत बरेली- शाहजहाँपुर मार्ग (11300मी.) चेनेज 260.300 से 271.600 तक 4 " एवं 125 एम.एम. (5) ब्यास की भूमिगत स्टील एवं एम.डी.पी. ई. गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु 0.6215 है. संरक्षित भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पतन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं0-FP/UP Pipeline/147376/2021)

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र बिंदु सं0 20

शर्त संख्या-20 के अनुसार सेन्ट्रल यूपी गैस लि० वचनबद्ध है कि कार्यदायी संस्था द्वारा प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी. तीन लाइनो में वृक्षोरोपण कराया जायेगा।

क्षेत्रीय वनाधिकारी
बरेली रेंज, बरेली

क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज
बरेली

उप प्रभागीय वनाधिकारी (बरेली)
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

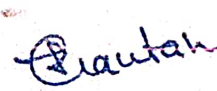
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
सेन्ट्रल यू० पी० गैस लि० लिमिटेड
Manager Projects
Central U.P. Gas Ltd.
Bareilly

जनपद बरेली के अंतर्गत बरेली - शाहजहाँपुर मार्ग (11300मी०) चेनेज 260.300 से 271.600 तक 4" एवं 125 एम० एम० (5") व्यास की भूमिगत स्टील एवं एम० डी० पी० इ० गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु 0.6215 हे० संरक्षित भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पतन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं०- FP/UP/ Pipeline /147376/ 2021)

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं- 21

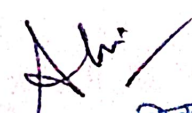
शर्त संख्या-21, अनुपालन में इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूस्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है-, उसकी प्रति संलग्न है।

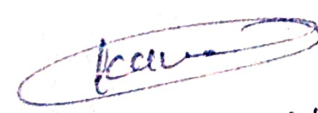
 **Jitendra Gautam**
Manager Projects
Central U.P. Gas Limited
Bareilly

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

सेंट्रल यू० पी० गैस लिमिटेड


क्षेत्रीय वनाधिकारी
बरेली रेन्ज, बरेली


क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज
बरेली


उप प्रभागीय वनाधिकारी (बरेली)
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

जनपद बरेली के अन्तर्गत बरेली- शाहजहाँपुर मार्ग (11300मी.) चेनेज 260.300 से 271.600 तक 4 " एवं 125 एम.एम. (5) ब्यास की भूमिगत स्टील एवं एम.डी.पी. ई. गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु 0.6215 है. संरक्षित भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पतन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं0-FP/UP Pipeline/147376/2021)

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं- 22

शर्त संख्या-22, अनुपालन में इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि सेंट्रल यू० पी० गैस लिमिटेड के पास वैध व अधिकृत लाइसेंस हैं तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है, उसकी प्रति संलग्न है।

क्षेत्रीय वनाधिकारी
बरेली रेन्ज, बरेली

क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेन्ज
बरेली

उप प्रभागीय वनाधिकारी (बरेली)
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

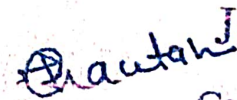
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
Jitendra Gautam
सेंट्रल यू० पी० गैस लिमिटेड
Central U.P. Gas
Bareilly

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

जनपद बरेली के अंतर्गत बरेली - शाहजहाँपुर मार्ग (11300मी०) चेनेज 260.300 से 271.600 तक 4" एवं 125 एम० एम० (5") व्यास की भूमिगत स्टील एवं एम० डी० पी० इ० गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु 0.6215 हे० संरक्षित भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पतन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं०- FP/UP/ Pipeline /147376/ 2021)

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं- 23

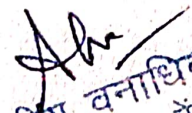
शर्त संख्या 2-3, अनुपालन में भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-08-2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/41/2006-1A-1(1), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त करना अनिवार्य होगा, यदि लागू हो तो।

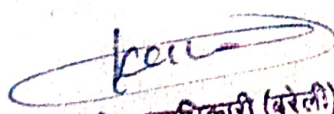
 **Jitendra Gautam**
Manager Projects
Central U.P. Gas Limited
Bareilly

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

सेंट्रल यू० पी० गैस लिमिटेड


क्षेत्रीय वनाधिकारी
बरेली रेंज, रेली


क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज
बरेली


उप प्रभागीय वनाधिकारी (बरेली)
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली


प्रभागीय निदेशक
सायाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

जनपद बरेली के अन्तर्गत बरेली- शाहजहाँपुर मार्ग (11300मी.) चेनेज 260.300 से 271.600 तक 4 " एवं 125 एम.एम. (5) ब्यास की भूमिगत स्टील एवं एम.डी.पी. ई. गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु 0.6215 है. संरक्षित भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पतन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं0-FP/UP Pipeline/147376/2021)

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं- 24

शर्त संख्या24-, अनुपालन में सेंट्रल यू० पी० गैस लिमिटेड द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक -98/09-11एफसी, दिनांक राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित में दिये गये निर्देशों के अनुसार 08.07.2011 संदर्भित डिजीटल डाटा फाइल में दर्शा-किये हुये भूया है ,जो कि प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

क्षेत्रीय वनाधिकारी
बरेली रेंज, बरेली

क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज
बरेली

उप प्रभागीय वनाधिकारी (बरेली)
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
Jitendra Gautam
सेंट्रल यू० पी० गैस लिमिटेड
Central U.P. Gas Limited
Bareilly

जनपद बरेली के अंतर्गत बरेली - शाहजहाँपुर मार्ग (11300मी०) चेनेज 260.300 से 271.600 तक 4" एवं 125 एम० एम० (5") व्यास की भूमिगत स्टील एवं एम० डी० पी० इ० गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु 0.6215 हे० संरक्षित भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पतन की अनुमति के सम्बन्ध में।(प्रस्ताव सं०- FP/UP/ Pipeline /147376/ 2021)

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं - 25

शर्त संख्या-25, अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृति कराकर भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए धनराशि उपलब्ध करायेगा।

क्षेत्रीय वनाधिकारी,
बरेली रेंज, बरेली

क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज
बरेली

उप प्रभागीय वनाधिकारी (बरेली)
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

Jitendra Gautam
Manager Project
Central U.P. Gas L.
Bareilly

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

सेंट्रल यू० पी० गैस लिमिटेड

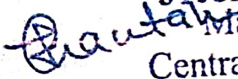
प्रभागीय निदेशक

सांवाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

जनपद बरेली के अंतर्गत बरेली - शाहजहाँपुर मार्ग (11300मी०) चेनेज 260.300 से 271.600 तक 4" एवं 125 एम० एम० (5") व्यास की भूमिगत स्टील एवं एम० डी० पी० इ० गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु 0.6215 हे० संरक्षित भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पतन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं०- FP/UP/ Pipeline /147376/ 2021)

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं- 26

शर्त संख्या 2-6, अनुपालन में इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है अनुमति की रिपोर्ट, क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार को प्रेषित की जायेगी।

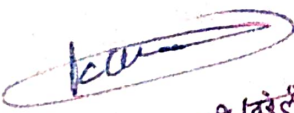

Jitendra Gautam
Manager Projects
Central U.P. Gas Limited
Bareilly

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

सेंट्रल यू० पी० गैस लिमिटेड


क्षेत्रीय वनाधिकारी
बरेली रेंज, बरेली


क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज
बरेली

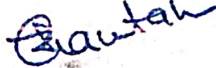

क्षेत्रीय वनाधिकारी (बरेली)
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

जनपद बरेली के अंतर्गत बरेली - शाहजहाँपुर मार्ग (11300मी०) चेनेज 260.300 से 271.600 तक 4" एवं 125 एम० एम० (5") व्यास की भूमिगत स्टील एवं एम० डी० पी० इ० गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु 0.6215 हे० संरक्षित भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पतन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं०- FP/UP/ Pipeline /147376/ 2021)

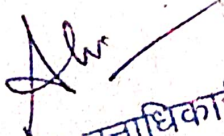
वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं- 27

शर्त संख्या 2-7, अनुपालन में इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आर-पास के फलोरा (वनस्पति/फाना के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेंगे।

 **Jitendra Gautam**
Manager Projects
Central U.P. Gas Limited
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता Bareilly

सेंट्रल यू० पी० गैस लिमिटेड


क्षेत्रीय वनाधिकारी
बरेली रेंज, बरेली


क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज
बरेली


उप प्रभागीय वनाधिकारी (बरेली)
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

जनपद बरेली के अंतर्गत बरेली - शाहजहाँपुर मार्ग (11300मी०) चेनेज 260.300 से 271.600 तक 4" एवं 125 एम० एम० (5") व्यास की भूमिगत स्टील एवं एम० डी० पी० इ० गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु 0.6215 हे० संरक्षित भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पतन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं०- FP/UP/ Pipeline /147376/ 2021)

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं- 28

शर्त संख्या-28, अनुपालन में इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य परियोजना के लिये नहीं किया जायेगा।

Jitendra Gautam
Manager Projects
Central U.P. Gas Limited
Bareilly

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

सेंट्रल यू० पी० गैस लिमिटेड

क्षेत्रीय वनाधिकारी
बरेली रेंज, रैला

क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज
बरेली

उप प्रभागीय वनाधिकारी (बरेली)
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

जनपद बरेली के अंतर्गत बरेली - शाहजहाँपुर मार्ग (11300मी०) चेनेज 260.300 से 271.600 तक 4" एवं 125 एम० एम० (5") व्यास की भूमिगत स्टील एवं एम० डी० पी० इ० गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु 0.6215 हे० संरक्षित भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पतन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं०- FP/UP/ Pipeline /147376/ 2021)

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं - 29

शर्त संख्या-29, अनुपालन में इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि उक्त के अतिरिक्त समय समय पर क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र लखनऊ के अनुसरण के अधीन होगी।

Jitendra Gautam
Manager Projects
Central U.P. Gas Limited
Bareilly

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

सेंट्रल यू० पी० गैस लिमिटेड

[Signature]
क्षेत्रीय वनाधिकारी
बरेली रेन्ज, बरेली

[Signature]
क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज
बरेली

[Signature]
उप प्रभागीय वनाधिकारी (बरेली)
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

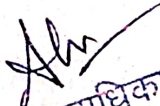
[Signature]
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

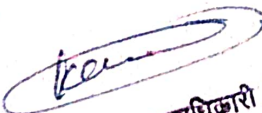
जनपद बरेली के अंतर्गत बरेली - शाहजहाँपुर मार्ग (11300मी०) चेनेज 260.300 से 271.600 तक 4" एवं 125 एम० एम० (5") व्यास की भूमिगत स्टील एवं एम० डी० पी० इ० गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु 0.6215 हे० संरक्षित भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पतन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं०- FP/UP/ Pipeline /147376/ 2021)

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं - 30

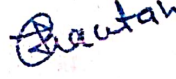
शर्त संख्या-30, अनुपालन में परियोजना में प्रभावित संरक्षित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान की धनराशि पोर्टल के माध्यम से कैम्पा फंड में जमा की जा चुकी है। जमा की गयी राशि की चालान की प्रति संलग्न है


क्षेत्रीय वनाधिकारी
बरेली रेंज, बरेली


क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज
बरेली


उप प्रभागीय वनाधिकारी (बरेली)
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली


Jitendra Gautam
Manager Projects
Central U.P. Gas Limited
Bareilly

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

सेंट्रल यू० पी० गैस लिमिटेड

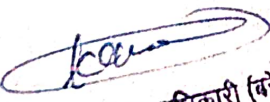
जनपद बरेली के अंतर्गत बरेली - शाहजहाँपुर मार्ग (11300मी०) चेनेज 260.300 से 271.600 तक 4" एवं 125 एम० एम० (5") व्यास की भूमिगत स्टील एवं एम० डी० पी० इ० गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु 0.6215 हे० संरक्षित भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पतन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं०- FP/UP/ Pipeline /147376/ 2021)

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं- 31

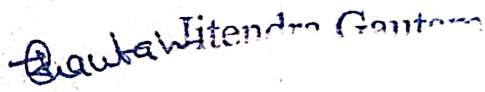
शर्त संख्या-31, अनुपालन में सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने पश्चात् विधिवत स्वीकृति (Working Permission) प्रदान की जायेगी।


क्षेत्रीय वनाधिकारी
बरेली रेन्ज, बरेली


क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेन्ज
बरेली


मुख्य प्रभागीय वनाधिकारी (बरेली)
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली


अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
Jitendra Gautam
Central U.P. Gas L.
Bareilly

जनपद बरेली के अंतर्गत बरेली - शाहजहाँपुर मार्ग (11300मी०) चेनेज 260.300 से 271.600 तक 4" एवं 125 एम० एम० (5") व्यास की भूमिगत स्टील एवं एम० डी० पी० इ० गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु 0.6215 हे० संरक्षित भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पतन की अनुमति के सम्बन्ध में।(प्रस्ताव सं०- FP/UP/ Pipeline /147376/ 2021)

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं- 32

शर्त संख्या-32, अनुपालन में भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छिपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर स्वयं उत्तरदायी होंगे।

क्षेत्रीय वनाधिकारी
बरेली रेंज, बरेली

क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज
बरेली

उप प्रभागीय वनाधिकारी (बरेली)
वन एवं अन्य जीव प्रभाग, बरेली

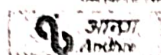
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

Gautam

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

Jitendra Gautam
Manager Projects
Central U.P. Gas Ltd
Bareilly

AGENCY COPY

यूनियन बैंक
of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 07-03-2025

Agency Name.	CENTRAL UP GAS LIMITED
Application No.	72147376511
MoEF/SG File No.	107
Location.	UTTAR PRADESH
Address.	Central UP Gas Ltd, 7th Floor, UPSIDC Complex, A-1/4 Kanpur Nagar
Amount(in Rs)	595260/-

Amount in Words :Five Lakh Ninety-Five Thousand Two Hundred and Sixty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1509072147376511 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jellita Towers, Misslon Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक
of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 07-03-2025

Agency Name.	CENTRAL UP GAS LIMITED
Appllcation No.	72147376511
MoEF/SG File No.	107
Location.	UTTAR PRADESH
Address:	Central UP Gas Ltd, 7th Floor, UPSIDC Complex, A-1/4 Kanpur Nagar
Amount(in Rs)	595260/-

Amount in Words :Five Lakh Ninety-Five Thousand Two Hundred and Sixty Rupees Only

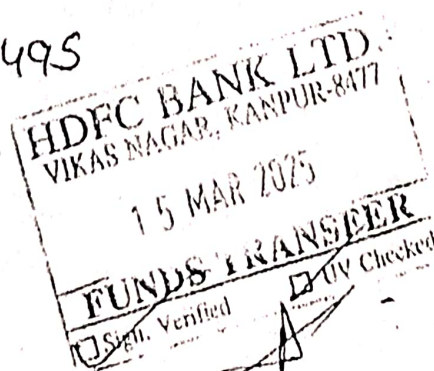
NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1509072147376511 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jellita Towers, Misslon Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, If the payment status has'not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unlonbankofindia.bank

HDFCR52028031550040495





prestsclearance.nic.in



27



PARIVESH
परिवेश

Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Government of India



My Account ▾ My Proposals Environment Clearance ▾ Only CRZ Clearance ▾ My Proposals Forest Clearance ▾

My Proposals Wildlife Clearance ▾ Help ▾

12:51 PM



Help



Sno	Proposal Detail	Application No	Application No (New)	Date of IN PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	PR/UP/Pipeline/147376/2021 Permission for laying of 4" dia CS and 125 mm dia MDPE Gas Pipeline in the same trench along the Bareilly-Shahjahanpur Road NH-30 (Ch. 260.300 to 271.600) for approx. 11.800mts in Kasana area for CNG/IP	PIPELINE147376/2021	147376	20 Feb 2025	CA: 0/- PCA: 0/- Safety Zone: 0/- NPV: 595260/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 595260/-	PAID	Fund Demand Verified by: 07 May 2025 Nodal Officer On Bank Name: Union Bank Of India Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On: 07 May 2025 Transaction Date: 15 May 2025	Demand Letter
2	PR/UP/Pipeline/147374/2021 Permission for laying of 4" dia CS and 125 mm dia MDPE Gas Pipeline in the same trench along the Bareilly-Nainital Road (Ch. 3.000 to 3.200) for approx. 1600mts, Bareilly-Rampur Road (Ch. 235.900 to 237.100) for approx. 1200mts, Bareilly-Pilibhar Road (Ch. 331.00 to 334.500) for approx. 3500mts Total 6.3 KM in West Bareilly	PIPELINE147374/2021	147374	22 Mar 2024	CA: 0/- PCA: 0/- Safety Zone: 0/- NPV: 331871/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 331871/-	PAID	Fund Demand Verified by: 17 May 2024 Nodal Officer On Bank Name: Union Bank Of India Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On: 20 May 2024 Transaction Date: 21 May 2024	Demand Letter